



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)

निफ्ट कैम्पस, दूरभाष नगर, रायबरेली - 229010 (उ०प्र०)

No. 9003(30)/Estt./NIFT-RB/Committee Constitution/2020

05.10.2020

आदेश

विषय- आन्तरिक शिकायत समिति के पुनर्गठन के सन्दर्भ में।

कार्यालय आदेश सं 9004 (3) / Estt / निफ्ट-आरबी / कार्यालय आदेश / 2014 (Vol.4) दिनांक 04 नवम्बर, 2016 के अधिक्रमण में, निफ्ट रायबरेली में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए गठित समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (2013 की सं० 14)), कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए और भारत की संसद द्वारा इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार को अधिनियमित किया गया है।


उक्त अधिनियम के अध्याय II के अनुसार, कार्यस्थल के प्रत्येक नियोक्ता को लिखित रूप में एक आदेश द्वारा "आन्तरिक शिकायत समिति" के रूप में जानी जाने वाली समिति का गठन करना होगा।

और जहां आन्तरिक शिकायत समिति में एक पीठासीन अधिकारी होना चाहिए और कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य होने चाहिए और कम से कम एक सदस्य अन्य संगठन से होना चाहिए, बशर्ते कि नामांकित कुल सदस्यों में से कम से कम आधी महिलाएं हों।

अतएव, मैं डॉ० भारत साह, परिसर निदेशक, निफ्ट परिसर, रायबरेली; उक्त अधिनियम की धारा - 4 में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन में निम्नलिखित सदस्यों वाली आन्तरिक शिकायत समिति के गठन का आदेश देता हूँ: -

1. डॉ०(श्रीमती) विद्या राकेश, एसोसिएट प्रोफेसर - निफ्ट रायबरेली - पीठासीन अधिकारी
2. डॉ० (प्रो०) अमिता खुबेले, विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान विभाग), दयानंद पीजी कॉलेज, बछरावां, बोर्ड मेंबर (किशोर बोर्ड) और अध्यक्ष (सृजन एवं स्वावलंबन प्रशिक्षण केंद्र, रायबरेली) - सदस्य
3. डॉ० अजय कुमार, सहायक प्रोफेसर, निफ्ट रायबरेली - सदस्य
4. श्रीमती अनकेता कुमार, सहायक प्रोफेसर, निफ्ट रायबरेली - सदस्य सचिव
5. श्रीमती स्तुति सोनकर, सहायक प्रोफेसर, निफ्ट रायबरेली - सदस्य
6. श्रीमती प्रतिभा सिंह, सहायक वार्डन (महिला छात्रावास), निफ्ट रायबरेली - सदस्य

और पीठासीन अधिकारी और समिति का प्रत्येक सदस्य इस आदेश की तिथि से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा।


(डॉ० भारत साह)
परिसर निदेशक

प्रतिलिपि:

1. डॉ०(श्रीमती) विद्या राकेश, एसोसिएट प्रोफेसर - निफ्ट रायबरेली - पीठासीन अधिकारी
2. डॉ० (प्रो०) अमिता खुबेले, विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान विभाग), दयानंद पीजी कॉलेज, बछरावां, बोर्ड मेंबर (किशोर बोर्ड) और अध्यक्ष (सृजन एवं स्वावलंबन प्रशिक्षण केंद्र, रायबरेली) - सदस्य
3. डॉ० अजय कुमार, सहायक प्रोफेसर, निफ्ट रायबरेली - सदस्य
4. श्रीमती अनकेता कुमार, सहायक प्रोफेसर, निफ्ट रायबरेली - सदस्य सचिव
5. श्रीमती स्तुति सोनकर, सहायक प्रोफेसर, निफ्ट रायबरेली - सदस्य
6. श्रीमती प्रतिभा सिंह, सहायक वार्डन (महिला छात्रावास), निफ्ट रायबरेली - सदस्य
7. समस्त अधिकारी / संकाय सदस्य / कर्मचारीगण, निफ्ट रायबरेली/ वी०ई०सी०
8. सूचना पट्ट।



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)

निफ्ट कैम्पस, दूरभाष नगर, रायबरेली - 229010 (उ०प्र०)

No. 9003(30)/Estt./NIFT-RB/Committee Constitution/2020

05.10.2020

ORDER

Subject- Re-constitution of the Internal Complaint Committee reg...

In supersession to officer order no. No. 9004(3)/Estt/NIFT-RB/Office Order/2014(Vol.4) dated 04th November, 2016, the Committee constituted for Prevention of Sexual Harassment of Women Employees at Work place at NIFT Raebareli, is being re-constituted.

WHEREAS an Act,{The Sexual Harassment of Women at Workplace(Prevention, Prohibition and Redressal)Act,2013(No.14 of 2013)} to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for prevention and redressal of complaints of sexual harassment and matters connected therewith or incidental thereto has been enacted by the Parliament of India.


WHEREAS as per the Chapter II of the said Act, every employer of a workplace shall, by an order in writing, has to constitute a committee to be known as the "Internal Complaints Committee".

AND WHEREAS the Internal Complaint Committee shall inter-alia consist of a Presiding Officer and not less than two members from amongst employees and at least one member from other organization, provided that at least one-half of the total Members so nominated shall be women.

NOW, THEREFORE, I Dr. Bharat Sah, Campus Director, NIFT Campus, Raebareli; in compliance of the provisions given in Section-4 of said Act, order formation of an Internal Complaints Committee having the following members :-

- vii. Dr. Vidya Rakesh, Associate Professor, NIFT Raebareli - **Presiding Officer**
- viii. Dr. (Prof.) Amita Khubele, HOD (Home Science Deptt.), Dayanand PG College, Bachhrawan, Board Member (Juvenile Board) & President (Srajan evam Swavlamban Prashikshan Kendra, Raebareli) - **Member**
- ix. Dr. Ajay Kumar, Assistant Professor, NIFT Raebareli - **Member**
- x. Mrs. Anketa Kumar, Assistant Professor, NIFT Raebareli - **Member Secretary**
- xi. Mrs. Stuti Sonker, Assistant Professor, NIFT Raebareli - **Member**
- xii. Mrs. Pratibha Singh, Assistant Warden, NIFT Raebareli - **Member**

AND THAT the Presiding Officer and every member of the Committee shall hold office for a period not exceeding three years from the date of this Order.


(Dr. Bharat Sah)
Campus Director

Copy to:-

- i. Dr. Vidya Rakesh, Associate Professor, NIFT Raebareli - **Presiding Officer**
- ii. Dr. (Prof.) Amita Khubele, HOD (Home Science Deptt.), Dayanand PG College, Bachhrawan, Board Member (Juvenile Board) & President (Srajan evam Swavlamban Prashikshan Kendra, Raebareli) - **Member**
- iii. Dr. Ajay Kumar, Assistant Professor, NIFT Raebareli - **Member**
- iv. Mrs. Anketa Kumar, Assistant Professor, NIFT Raebareli- **Member Secretary**
- v. Mrs. Stuti Sonker, Assistant Professor, NIFT Raebareli - **Member**
- vi. Mrs. Pratibha Singh, Assistant Warden, NIFT Raebareli - **Member**
- vii. All employees, NIFT Raebareli/ VEC.
- viii. Notice Board.